COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निग. 13838/III-15 (157)

प्र.क्र. 15 निगरानी

1. विक्रम सिंह पुत्र भागवल यादव
2. कस्तूरी पत्नि विक्रम यादव
3. शेर सिंह यादव पु० विक्रम भागवल समस्त निवासीगण वीरपुरा तहसील – लिधौरा जिला टीमकगढ़ म.प्र

........प्रार्थीगण

श्री ए.के. अग्रवाल अभि० द्वारा दिनांक 26-11-15 को प्रस्तुत। 26.11.15

विरूद्ध

1. चन्द्रभान पुत्र राम सहाय बाह्मण निवासी बीरपुरा भूमि तहसील लिधौरा जिला टीकमगण म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगण म.प्र.

..........प्रतिप्रार्थीगण

26.11.15

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश 24.11.15 परित राजस्व निरीक्षक (नियमित) मण्डल स्यावनी, तहसील लिधौरा जिला टीकमगण म.प्र.

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधिनस्त न्यायालय ने प्रकरण को समझने में एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश देते में कानूनी त्रुटि की है जिससे प्रार्थीगण न्याय पाने से वंचित रह गये है।

AIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 3838–दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20 -5-16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक , वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्र0क्र0 44 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24–11–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक क्रमांक–1 के स्वामित्व की ग्राम भगवंत सिंह का खिरक स्थित आराजी क्रमांक 34/1/3, 37/1/4, 34/4 कुल रकबा 1.813 हैक्टर (आगे जिसे वाद विचारित भूमि अंकित किया गया है) के सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा के प्रकरण क्रमांक 44 अ–12/2014–15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि संयुक्त कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 1974/18/भू–अभि/ सीमांकन/2015 दिनॉक 26–10–15 से वाद विचारित भूमि के सीमांकन हेतु सहायक अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ के नेतृत्व में दो राजस्व निरीक्षक, चार पटवारियों का दल गठित किया जाकर सीमांकन कराया गया है। सीमांकन दल ने मौके पर जाकर एंव मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुए दिनॉक	

7–11–15 को सीमांकन किया है एंव कलेक्टर कार्यालय में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इसी सीमांकन प्रतिवेदन को संयुक्त कलेक्टर टीकमगढ़ ने पत्र कमांक 2118/18–भू अभि/सीमांकन/2015 दिनांक 12–11 –15 से राजस्व निरीक्षक (नियमित) वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा को सीमांकन प्रकरण दर्ज कर निराकृत करने के निर्देश दिये हैं।

4/ राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा ने प्रकरण कमांक 44 अ–12/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ करने पर आवेदकगण ने सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक ने अंतरिम आदेश दिनांक 16–11–15 से आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की है एंव आदेश दिनांक 24–11–15 पारित करते हुये सीमांकन दल व्दारा दिनांक 7–11–15 को किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि सीमांकन कार्यवाही हेतु सहायक अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ के नेतृत्व में दो राजस्व निरीक्षक, चार पटवारियों के गठित दल व्दारा किये गये सीमांकन में किसी प्रकार की कमी–वेशी नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा व्दारा प्रकरण कमांक 44 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दि0 24–11–15 उचित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य